कठूमर जिला अलवर

...लय उपखण्ड

नंबर ... वक्ता का नाम ... नं० 2/199/2022 ... तारीख रुजू............

गजराजसिंह बनाम भूपसिंह वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.07.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 98, वाके ग्राम सहजपुरा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 29.07.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 29.07.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) 27.7.22 ... 16/9/12 ... 15/7/12 ... दिनांक 19/9/12 उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:14 IST
Reason: SelfAttested

1/4/23	किया गया। पत्रावली वास्ते बहस T.I दिनांक 24/4/23 को पेश हो SDO/K
29/4/23	पक्षकार .... उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 10/4/23 की पालना में पत्रावली वास्ते बहस T.I सुनी गई वास्ते दिनांक 15/5/23 को पेश हो। आदेश खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
15/5/23	पीठासीन अधिकारी संवाद ... के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका वास्ते आदेश दिनांक 19/5/23 को पेश हो SDO/K
19/5/23	पीठासीन अधिकारी ... प्रार्थी अपना प्रार्थना-पत्र 212 RTA को वापिस लेना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] न होने के कारण [illegible] किया जाता है। निर्णय खुले में सुनाया जाकर [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/199/2022

वउनवान

1. गजराजसिंह पुत्र जयकिशन जाति मीना निवासी चेनपुरा तहसील कठूमर

——— सायल

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी बरोलीछार
2. नटवर पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी बरोलीछार तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. मिथलेश पत्नी कल्लाराम गर्ग निवासी खेरली
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र शिम्भूदयाल जाति महाजन निवासी खेरली तहसील कठूमर जिला अलवर

———— गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :—श्री सुभाषचन्द "अरूवा"—अधिवक्ता सायला

श्री मानसिंह चौधरी— अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 19.05.2023

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर98 रकबा 1.11 हे ग्राम [illegible] तहसील कठूमर मे स्थित है। उक्त आराजी मे से एक प्लाट [illegible]/36/40 फुट का विवादित है। विवादित प्लाट की पैमायस उत्तर दक्षिण सिरा पूर्व 40 फुट सिरा पश्चिम 36 फुट पूर्व पश्चिम दोनों सिरे 10 फुट है। हदूद अर्वा— तरफ उत्तर मुनेश व दिलीप का मकान, तरफ दक्षिण सडक वाई पास, तरफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

पूर्व दुकान पिंकी तथा तरफ पश्चिम प्लाट दिलीपशर्मा का है। उक्त प्लाट वादी के कब्जे एंव स्वामित्व का खरीदशुदा है तथा खसरा नम्बर 98 का भाग है। उक्त प्लाट को खातेदार मिथलेश व लक्ष्मीनारायण ने शांतिदेवी पत्नी हरीप्रसाद निवासी खेरली को दिनांक 28.11.1991 को वरूवे ईकरारनामा वेचान किया था। भांतिदेवी ने उक्त प्लाट श्रीमति विरमा देवी निवासी खेरली को दिनांक 24.02.1996 को वरूवे ईकरारनामा वेचान कर कब्जा संभलवा दिया था विरमा देवी का स्वर्गवास हो गया है तथा विरमा देवी के पति का भी स्वर्गवास हो गया है। विरमादेवी का एक मात्र वारिस अमितकुमार पुत्र उमेशचन्द निवासी खेरली से वादी ने उक्त प्लाट दिनांक 15.12.2021 को नकद जरे वय 25000 रूपया में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। ईकरारनामा नोटरी से तस्दीक है। उक्त प्लाट में तीन साइड कुर्सी तक निर्माण हो रहा है। उक्त विवादित प्लाट से प्रतिवादीगण का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। गैरसायलान दिनांक 08.07.2022 को विवादित प्लाट पर ट्रॉली में ईट भरकर लाये तथा प्लाट के सामने सडक पर खाली कर दी व विवादित प्लाट पर जवरन कब्जा करने की कोशिश की इसके वाद दिनांक 14.07.2022 को गैरसायलान जवरन प्लाट में निर्माण करने का प्रयास करने लगे वडी मुश्किल से रोका यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा।दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

सायल सं0 1–2 ने जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि सायल ने प्लाट की हदूद अर्वा व लम्बाई चौडाई गलत दर्ज की है। उक्त प्लाट सायल का ना होकर गैरसायलान का खरीदशुदा प्लाट है।

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०

जिसकी हदूद अर्वा पूर्व में दिलीपसिंह का प्लाट, पश्चिम में दिलीपसिंह का प्लाट, उत्तर में दिलीप का खेत, दक्षिण में सडक सरकारी है। पूर्व से पश्चिम की चौडाई 13 फुट उत्तर से दक्षिण तरफ पूर्व 40 फुट तरफ पश्चिम 40 फुट है। जिसकी गैरसायलान ने मौके पर कुर्सी तक नींव भरवा रखी है। जो प्लाट खसरा नम्बर 98 का भाग है। उक्त खेत में से एक प्लाट जगदीश चन्द पुत्र रामकरण जाति अहीर निवासी नवाव का नगला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर ने अपनी घरू आवश्यकता के लिये दिनांक 04.05.1988 को प्लाट 10 बाई 40 फुट को कल्लाराम गर्ग के हक़ में वेचान कर दिया। वक्त खरीद उक्त प्लाट पर कल्लाराम गर्ग का कब्जा रहा है। दिनांक 31.8.2021 को कल्लाराम गर्ग ने 13 बाई 40 फुट का प्लाट भूपसिह जाट निवासी बरोलीछार को 6000 रूपया लेकर वेचान कर कब्जा संभला दिया। जिस प्लाट को गैरसायलान ने जरिये ईकरारनामा खरीद किया है। वक्त खरीद से गैरसायलान उक्त प्लाट पर काविज रहकर उपयोग एंव उपभोग कर रहे है। वाद खरीद उक्त प्लाट की गैरसायलान ने कुर्सी तक नींव भर दी। सायल का उक्त प्लाट पर कोई कब्जा नही है। इस प्लाट में गैरसायलान ने मेटेरियल डाल रखा है। सायल नाकाविज है। सायल उक्त आराजी का ना तो खातेदार है और ना सायल के पास किसी तरह का टाइटल है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायल का प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सावित नहीं है इस वजह से प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में छाया प्रति जमाबन्दी संवत् 2073 से 76 वाके ग्राम सहजपुरा तथा छाया प्रति ईकरारनामा दिनांक 28.11.1991, 24.02.1996, ...2021 व विधिक नोटिस की छाया प्रति पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:14 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत रा... व रेकार्ड का अवलोकन किया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

सायल को अपने प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित करना है –

1. प्रथम दृश्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

वहस सुनी गई। अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त प्लाट खसरा नम्बर 98 वाके ग्राम सहजपुरा का भाग है।जो सायल का जरिये ईकरारनमा खरीदशुदा है। जिससे गैरसायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है लेकिन गैरसायलान उक्त प्लाट पर जवरन कब्जा कर निर्माण करना चाहते है यदि गैरसायल ने ऐसा कर दिया तो सायल को अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है।

अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित प्लाट से सायल का किसी तरह का बास्ता नहीं है। उक्त भूमि ना तो सायल की खातेदारी की है और ना किसी तरह का वैद्य टाइटल है। विवादित प्लाट गैरसायलान का खरीदशुदा है जिसकी गैरसायलान ने कुर्सी तक नीव भर रखी है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है नाकाविज सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। जहां तक खसरा नम्बर 98 के राजस्व रेकार्ड का प्रश्न है राजस्व रेकार्ड में सायल खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं है। सायल का प्रार्थना पत्र अनरजिस्टर्ड ईकरारनामा पर आधारित है। विवादित प्लाट पर सायल अपना कब्जा बताता है जवकि गैरसायलान अपना कब्जा बताते है। दोनों ही उक्त प्लाट को ईकरारनामा पर खरीद कर कब्जा प्राप्त करना बताते है। कानूनन हुक्मइन्तनाई दवामी का वाद केवल खातेदार काश्तकार ही ला सकता है। चूंकि सायल का प्रार्थना पत्र अनरजिस्टर्ड ईकरानामा पर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:14 IST
Reason: SelfAttested

आधारित है। अनरजिस्टर्ड ईकरारनामा के आधार पर मुकदमा की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को है या नहीं व कब्जा के वारे में तथ्य मूल वाद के निस्तारण के समय मूल वाद पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तय किये जावेगे। सायल का प्रार्थना पत्र अनरजिस्टर्ड ईकरारनामा पर आधारित है। सायल ने विवादित प्लाट वावत कोई टाइटल अथवा कब्जा से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। यदि गैरसायलानको पाबन्द कर दिया गया तो उन्हेंनुकशान व क्षति होना संभव है। सायल को किसी तरह का नुकशान अथवा क्षति होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रार्थना पत्र को सावित करने का भार सायल पर था लेकिन सायलप्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहा है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित हैं। अतः सायल का प्रार्थना पत्र सावित ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 15.07.222 वैकेट किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 19.05.2023को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukhadi Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:14 IST
Reason: SelfAttested